न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 222 / 2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

नेनाराम पुत्र श्री रामा जाति तेली आयु वयस्क निवासी–खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. अणछी देवीपत्नि आसुराम जाति गुर्जरआयु वयस्क निवासी–गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. अम्बादेवी पत्नि प्यारानाथ जाति जोगी आयु वयस्क निवासी–नागा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. इन्द्राकंवरपत्नि कुन्दनसिंहजाति राजपूत आयु वयस्क निवासी–चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. ऐजी पत्नि सोहन लाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी–उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. कनीराम पुत्र मोहन लाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी सांवला जी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. कैलाशचन्द्र पुत्र शिवप्रसाद जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. केशवचन्द्र पुत्र बख्तावर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुर्जर उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. कालूराम पुत्र पांचू जाति चमार आयु वयस्क निवासी–खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. गीता पुत्री अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासीउदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. गोपीलाल पुत्र मांगी लाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी–खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. घीसु लाल पुत्र नंदा जाति तेली आयु वयस्क निवासी–अमरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. जगदीशचन्द्र पुत्र मूलचन्द्र जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. जया पत्नि नेनुनाथ जाति जोगी आयु वयस्क निवासी नागा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. डालचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति जाति तेली आयु वयस्क निवासी–खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. दिनेशकुमार वैष्णव पुत्र प्रभूदास वैष्णव जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. धन्नालाल पुत्र कालु जाति रैबारी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. नाथीबाई पत्नि गजानन्द जाति तेली आयु वयस्क निवासी तिलोली तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा (राज0)
18. पन्ना लाल पुत्र नगजीराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी मियाफलास का खेडा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
19. पेमाराम पुत्र जालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

20. पारसीदेवी पत्नि पन्नालाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी मियाफलास का खेडा तहसील करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)
21. मदनसिंह पुत्र धीसुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कानजी का खेड़ा तहसील करेडा, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
22. मेमादेवी पत्नि केशव चन्द्र जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
23. मेवाराम पुत्र रत्ता जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी खाखरडा तहसील रायपुर जिला–भीलवाड़ा (राज0)
24. मियाराम पुत्र नगजीराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी मियाफलास का खेडा तहसील करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)
25. रूकमणीदेवी पत्नि स्व0अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
26. राजमल पुत्र अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
27. लाली देवी पत्नि शंकर लाल जाति रैबारी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
28. लीलाव्यास पत्नि केवलराम जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला–भीलवाडा (राज0)
29. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी–खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
30. नाबालिग सुखदेव पुत्र केशव चन्द्र सरंक्षक माता मेमदेवी पत्नि केशवचन्द्र जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
31. सीता पुत्री अम्बालाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
32. सोसीदेवी पत्नि मियाराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी मियाफलास का खेड़ा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
33. सोहन लाल पुत्र बंशीलाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी उदयराम जी का गुढा तहसील करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)
34. हरदेव पुत्र आशु जाति राईका आयु वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
35. हरदेव पुत्र दुदा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
36. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
37. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय 01 लगायत 35 ––विपक्षीगण
3. पैरोकार सरकार विपक्षी सं0 36 लगायत 37

:: आदेश ::

दिनांक – 22.10.2024

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि सरहद ग्राम खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 85 मे आराजी नम्बर 251 रकबा 1.6693 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादी एंव प्रार्थीगण संख्या 01 एक लगायत 35 के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात मे वादी का 80859/164560 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 01 एक का 2/105 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 02 का 250/35937 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 03 का 1/364 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 04 का 1/36 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 05 का 13/1331 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 06 का 500/35937 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 07 का 56/16335 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 08 का 100/35937 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 09 का 1/180 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 10 का 1/90 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 11 का 13/1331 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 12 का 320/35937 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 13 का 250/359374 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 14 का 1/90 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 15 का 625/35937 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 16 का 1/70 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 17 का 5/66 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 18 का 1/264 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 19 का 809/179685 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 20 का 5/132 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 21 का 1/264 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 22 का 1043/119790 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 23 का 500/35937 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 24 का 1/264 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 25 का 1/180 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 26 का 1/180 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 27 का 3/44 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 28 का 1043/119790 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 29 का 1/90 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 30 का 104/11979 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 31 का 1/180 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 32 का 5/132 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 33 का 1/66 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 34 का 1/272 हक हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 35 का 500/35937 हक हिस्सा निहित है। विवादित आराजीयात पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 35 मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का अभी तक विभाजन नही हुआ है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड संयुक्त शामलाती होने से पक्षकारो के मध्य आये दिन लगान आदि जमा कराने व मेड पाली की घास काटने के बारे मे विवाद होता रहता है तथा प्रार्थीगण ने कई बार विपक्षीगण को उक्त आराजीयात का रास्ते को मध्य नजर रखते हुए कब्जे के आधार पर विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमटोल करते रहे। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 35 की नियत मे फितुर पैदा हो गया है तथा वो आये दिन उक्त आराजीयात पर अन्य व्यक्तियो को लेकर आते है व विपक्षी संख्या 01 लगायत 35प्रार्थी को जबरन बेदखल करने व बिना संपरिवर्तन कराये जबरन भूमि पर अवैध पक्का निर्माण करने व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय आदि करने की बातचीत करते है व जबरन बिना विभाजन कराये ही मौके पर जबरन का निर्माण करने की धमकिया देते है। प्रार्थी ने कई बार विपक्षी संख्या 01 लगायत 35 को रास्ते को मध्य नजर रखते हुए हक हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन कराने हेतु कहने पर विपक्षीगण बार बार टालमटोल करते चले आ रहे। उक्त आराजीयात का अभी बटवाड़ा नही हुआ है व शामलाती रूप से काबिज है तथा उक्त आराजीयात का कब्जे के अनुसार विभाजन नही हुआ है, यदि विपक्षीगण बिना विभाजन कराये उक्त भूमि पर जबरन किसी प्रकार का पक्का निर्माण कर लेगे व उक्त भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण कर देगे तो प्रार्थी एंव विपक्षीगण एवं क्रेताओ के मध्य कब्जे बाबत अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगे। इस कारण प्रार्थी ने विपक्षीगण को उक्त आराजियात का कब्जे के अनुसार विभाजन कराने हेतु दिनांक 25/04/2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण तैयार नही हुए व विपक्षीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त विवादित आराजियात का बिना विभाजन कराये व बिना संपरिवर्तन कराये उक्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करके ही रहेगे व जबरन विवादित आराजियात पर अवैध पक्का निर्माण करने की धमकी दी व अवैध निर्माण करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण बिना विभाजन कराये विवादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे व जबरन प्रार्थी को बेदखल कर देगे व जबरन किसी प्रकार से मौके पर अवैध निर्माण कर लेगे तो मोके पर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

विवाद हो जायेगे व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थी को सरहद ग्राम खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 85 मे आराजी नम्बर 251 रकबा 1.6693 हैक्टयर भूमि से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व नही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से का शांति पूर्वक ढ़ंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पेदा करे व नही किसी अन्य से करावें व न ही किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षीगण प्रार्थी को बिना बटवाडा हुए व आराजियात से प्रार्थी को बेदखल कर देगे व आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगे या किसी प्रकार का निर्माण आदि करा लेगे तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य अनेका अनेक विवाद बढ जायेगे व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षीगण के बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

2– **सुविधा संतुलन**

3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकले पेश की गयी व साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एंव विपक्षीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात है तथा उक्त कृषि आराजियात पर विपक्षीगण जो कि बिना विभाजन कराये ही उक्त आराजियात पर अवैध निर्माण करने व विक्रय हस्तांतरण करने पर आमादा है। वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन कराये ही अवैध निर्माण होने व आराजियात के अंतरण होने पर पक्षकारो के मध्य अनेका अनेक वाद विवाद व मुकदमे बाजी बढेगा। प्रार्थी जो कि रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि शामलाती भूमि है, प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है व प्रार्थी मौक पर काबिज है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित होने से व उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने व उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करने व खुर्द करे पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाती है कि विपक्षीगण सरहद ग्राम

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 85 मे आराजी नम्बर 251 रकबा 1.6693 हैक्टयर भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करें व उक्त भूमि पर बिना विभाजन कराये किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करें व उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण नहीं करें व किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करावें व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)